क्रमांकः . . . .

निविदा प्रपत्रा का मूल्यः रु0 200बिक्री कर रु0 27= रु0 227.00

<u>कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।</u>

निविदा संख्या :– 002 /उ0वि0शि0प0/सि0सेल/2011–12, दिनांकः 23–07–2011

अग्रिम पंजीकरण सत्रा 2011–12

<u>निविदा प्रपत्रा</u>

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट की वर्ष 2012 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सम्प्रति सत्रा 2011–12 में कक्षा–9 के संस्थागत/व्यक्तिगत एवं अन्य कक्षाओं के अपंजीकृत छात्रा/छात्राों के पंजीकरण के फोटोयुक्त पंजीकरण कार्ड (Registration Cards with Photograph) तैयार करने के कार्य को कम्प्यूटर द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु निविदा का प्रपत्राः–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वर्ष 2013 की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सम्प्रति शिक्षा सत्रा 2011–12 में कक्षा–9 एवं शेष कक्षाओं के अपंजीकृत लगभग 2,00,000 (दो लाख) छात्रा/छात्राओं के फोटोयुक्त पंजीकरण कार्ड कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराये जाने हेतु आई0सी0आर0/ ओ0एम0आर0 सॉफ्टवेयर की सुविधाओं से युक्त ऐसी पंजीकृत कम्प्यूटर फर्मों से निविदाएं प्रेषित किये जाने की अपेक्षा है जो परिषद कार्यालय रामनगर (नैनीताल) से परीक्षार्थियों के पंजीकरण फार्मों को लेकर प्रोसेसिंग करने के पश्चात् इन सभी फार्मों एवं इनसे तैयार की गई रिपोर्टों, नामावली (छवउपदंस त्वसस) एवम् पंजीकरण कार्डों (त्महपेजतंजपवद ब्ंतके) को यथा निर्देशित मुद्रित कर निर्धारित समय में परिषद कार्यालय को पहुँचाने में सक्षम हों। यह कार्य एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जो आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है, सम्पादित किया जायेगा। निविदादाता की ओर से किसी भी आकस्मिकता/असफलता की स्थिति में भी इस कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत ही सम्पन्न करना होगा। अतः ऐसी सक्षम फर्मे ही निविदा प्रेषित करें जो निविदा की शर्तों का पूर्णतया पालन करते हुये किसी भी प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में भी परिषद द्वारा अनुदानित कार्यों को निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत सफलतापूर्वक सम्पादित करने में सक्षम हों। निविदादाता फर्म को किसी भी राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र स्तरीय मान्यता प्राप्त परीक्षा संस्थानों/बोर्डों का आई0सी0आर0/ओ0एम0आर0 प्रविधि से किये गये कार्यों का जिसमें फोटोयुक्त त्महपेजतंजपवद ब्ंतकेध्।कउपज ब्ंतके का मुद्रण भी सम्मिलित है, का **<u>कम से कम 3 वर्षों का कार्यानुभव होना आवश्यक ह</u>**। अन्यथा सम्बन्धित निविदादाता के टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रा के अन्त में अंकित है।

(तकनीकी भाग)

(क)– निविदादाता फर्म का संगठनात्मक विवरणः–

1. कम्प्यूटर फर्म का नाम एवं पूरा पता, फोन नम्बर, ई.मेल पता एवं वेब साईट।

2.फर्म की स्थापना की तिथि एवं वर्ष।

3. फर्म का प्रकार च्तवचतपमजवतध्च्तजदमतौीपचध्च्तपअंजम वत च्नइसपब स्पउपजमक ब्वउचंदलण

4. फर्म/कम्पनी का स्वामित्व प्रमाण–पत्रा तथा पंजीयन प्रमाण–पत्रा संलग्न करें।

5. गत वर्ष का कुल टर्न ओवर।

6. आई.सी.आर. संबंधी कार्य का टर्न ओवर।

7. यदि संगठन कम्पनी है तो उसका पेडअप कैपिटल।

8. गत वर्ष अर्जित लाभ।

9. फर्म/कम्पनी का मुख्य व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय।

(ख)– निविदादाता फर्म की जनशक्ति का विवरण–

1. सिस्टम एनालिस्ट की संख्याः(1)रेगुलर (2)पार्ट टाइम

2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर की संख्याः (1) रगुलर (2)पार्ट टाइम

3. डाटा इंट्री आपरेटरों एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ की संख्याः (1)रेगुलर (2)पार्ट टाइम

क्रम 1, 2, व 3 की पुष्टि हेतु प्रमाणित स्टाफ लिस्ट जिसमें कर्मचारियों का नाम, उनका पदनाम, तकनीकी शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि, सम्पूर्ण वेतन एवं ई.पी.एफ. कटौती का विवरण अंकित हो, निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

4. आकस्मिकताओं की स्थिति में क्या संस्था अपने स्वयं के साधनों से पंजीकरण कार्यों को सम्पादित करने में सक्षम हैः– हाँ / नहीं ?

यदि नहीं तो किस फर्म के द्वारा उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा? उसका नाम व पता एवं उपलबध जनशक्ति का उल्लेख करें।

उस फर्म के समस्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने हेतु फर्म से किये गये **वैधानिक अनुबन्ध(Legal Contract)** की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(ग)– फर्म की कम्प्यूटर हार्डवेयर सुविधाएं :–

1. कम्प्यूटर सिस्टम तथा उसका विवरण, उनकी संख्या तथा मेक/माडल।

2. निम्नांकित प्रिन्टर्स की अलग–अलग संख्या और उनकी स्पीड, मेक तथा मॉडल एवं उनके मॉडल/सीरियल नम्बर का विवरण पूरी स्पष्टता से अलग–अलग दें।

() लाइन प्रिन्टर

(इ) लेजर प्रिन्टर

(ब) इंकजेट प्रिन्टर

(क) डॉटमैट्रिक्स प्रिन्टर

3. सर्वर की संख्या एवं उनकी कुल स्टोरेज क्षमता।

4. (प) ए0डी0एफ0 स्कैनर की संख्या एवं उनका विस्तृत विवरण।

() ए0डी0एफ0 स्कैनर की कुल संख्या

(इ) मेक/मॉडल

(ब) मॉडल/ सीरियल नम्बर

(क) क्रय तिथि

(म) डिलीवरी की तिथि

(ि) विक्रेता फर्म का नाम तथा पूरा पता एवं फोन नम्बर

(ह) प्कमंस ैचममक ;चंहमे चमत उपदनजमद्ध ूपजी 300 क्च्प् वद ळतंल ैबंसम

(ी) संलग्न पंजीकरण ओवदन–पत्रा का प्रयोग, करने पर प्रायोगिक तौर पर ए0डी0एफ0 स्कैनर की स्पीड ;चण्चण्उण्द्ध

ए0डी0एफ0 स्कैनर के सम्पूर्ण विवरण के साथ इसके Specification/Mannual एवं क्रय की प्रमाणित रसोद अवश्य संलग्न करें। यदि ए0डी0एफ0 स्कैनर अलग–अलग मॉडलों के हैं तो उनके समस्त विवरण उनके मॉडलों के अनुसार अलग–अलग दें।

(पप) फ्लैटबेड स्कैनर की संख्या एवं विस्तृत विवरण।

() ए0डी0एफ0 स्कैनर की कुल संख्या

(इ) मेक/मॉडल

(ब) मॉडल/सीरियल नम्बर

(क) क्रय तिथि

(म) डिलीवरी की तिथि

(ि) विक्रेता फर्म का नाम तथा पूरा पता एवं फोन नम्बर

(ह) प्कमंस ैचममक ;चंहमे चमत उपदनजमद्ध ूपजी 300 क्च्प्ए वद ळतंल ैबंसमए

(।) संलग्न पंजीकरण आवेदन पत्रा का प्रयोग करने पर प्रायोगिक तौर पर फ्लैटबेड स्कैनर की स्पीड;चण्चण्उद्ध

फ्लैटबेड स्कैनर के सम्पूर्ण विवरण के साथ इसके Specification/Mannual एवं क्रय की प्रमाणित रसीद अवश्य संलग्न करें। इनमें उन ए0डी0एफ0 स्कैनरों को सम्मिलित न किया जाय जो फ्लैटबेड स्कैनरों की भाँति भी कार्य करते हों।

(घ) संस्था के अन्दर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सुविधाएं :–

1. आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर की संख्या एवं विस्तृत विवरण।

() आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर की कुल संख्या

(इ) मेक / मॉडल

(ब) आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर के हार्डलॉक का सीरियल नम्बर

(क) क्रय की तिथि

(म) डिलीवरी की तिथि

(ि) विक्रेता फर्म का नाम तथा पूरा पता एवं फोन नम्बर

आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर के सम्पूर्ण विवरण के साथ इसके Specification/ Mannual एवं क्रय की प्रमाणित रसीद, इसके उपयोग करने का लाईसेन्स, वारण्टी, एवं ज्ञमल छवण से सम्बन्धित प्रपत्रा अवश्य संलग्न करें। इन प्रपत्राों को निविदा के साथ संलग्न न किये जाने पर निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

नोटः– (1). टेण्डर निर्गत होने की तिथि के पश्चात् क्रय किये गये किसी भी हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का उल्लेख टेण्डर में न किया जाय। टेण्डर निर्गत होने की तिथि के पश्चात् क्रय किये गये किसी भी हार्डवेयर/साफ्टवेयर पर निविदादाता फर्म की अर्हता निर्धारण म कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2). नगद भुगतान कर क्रय किये गये उन सभी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पर भी विचार नहीं किया जायेगा जिनके लिये नियमानुसार निर्धारित सेल्स टैक्स फर्म द्वारा अदा नहीं किया गया होगा।

(≥)– कम्प्यूटर उपयोग– प्रति सप्ताह कम्प्यूटर चलने की पालियो (शिफ्टों) की संख्या।

(च)– कम्प्यूटर सिस्टम का निश्चित स्थान जहाँ फर्म द्वारा समस्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(छ)– यू0पी0एस0 बैकअप सुविधा तथा जेनरेटर

1. यू0पी0एस0 कितने हैं? तथा कितने ज्ञट। के हैं?
2. जेनरेटर कितने हैं? तथा कितने ज्ञट। के हैं?

(ज)– आई0सी0आर0 सम्बन्धी किये गये कार्यों का अनुभवः–

आई0सी0आर0 सिस्टम के अन्तर्गत किये गये केवल परीक्षा सम्बन्धी कार्यों का ही विवरण दें।

(प्रमाण हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा दिये गये वर्क आर्डर की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। इस प्रमाण–पत्रा से यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि किया गया कार्य आई0सी0आर0 सिस्टम द्वारा ही किया गया है। यदि कार्य

समाप्त कर लिया गया है तब सम्बन्धित संस्था से इस कार्य की Performance Report प्राप्त कर उसे भी टेण्डर के साथ अवश्य संलग्न किया जाय।)

क्रमांक	वर्ष	कार्य का विवरण	संस्था जिसके लिये कार्य किया गया है। (पूरा नाम पता एवं फोन नं0)	दर	छात्राों की संख्या	कार्य का मूल्य
1– 2– 3–						

नोट– कार्य विवरण के अन्तर्गत किये गये कार्य का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। सम्बन्धित संस्था के ण्ब्ण्त्ण फार्म के नमूने को भी प्रमाण स्वरूप टेण्डर के साथ संलग्न करें।

(झ)– **स्कैनिंग एवं प्रिंटिंग क्षमता का आकलन**–

1. एक घंटे में कितने परीक्षार्थियों के पंजीकरण फार्म स्कैन हो सकते हैं?
2. रजिस्ट्रेशन कार्ड (।4 साइज की शीट पर चार परीक्षार्थियों की फोटो एवं उनका विवरण) मुद्रित करने की क्षमता प्रति घण्टा क्या होगी?

(ञ)– **कार्य क्षमता का आकलन**–

निविदा प्रपत्रा के साथ एक नमूने के रूप में संलग्न पूर्ण रूप से भरे हुये 2 लाख पंजीकरण आवेदन पत्राों को फर्म द्वारा उसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों के प्रयोग से–

(1). स्कैनिंग करने एवं आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर से स्कैन किये हुये डाटा का रिकग्निशन करने के पश्चात् प्राप्त त्राुटियों का निराकरण कर सम्पूर्ण डाटा की परिशुद्ध चेकलिस्ट तैयार करने में लगने वाला न्यूनतम समय .... दिन

(2). संशोधनोपरांत अपडेट लिस्ट से सम्पूर्ण परीक्षार्थियों की रजिस्ट्रेशन लिस्ट एवं उनके फोटोयुक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड मुद्रित करने में लगने वाला न्यूनतम समय .... दिन

(3). फर्म द्वारा टेण्डर में उल्लिखित अपने समस्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का अपनी पूरी क्षमता से प्रयोग करते हुये निर्धारित समय के अन्दर अधिकतम कितने परीक्षार्थियों का कार्य किया जा सकता है ....

निविदादाता के हस्ताक्षर–

फर्म की मुहर–

वित्तीय भाग

(क)– पंजीकरण कार्य हेतु प्रति परीक्षार्थी दर जिसमें परीक्षार्थियों की मास्टर डाटाबेस फाइल एवं अन्य रिपोर्टों को उपलब्ध कराये जाने हेतु सी0डी0 का मूल्य, विविध संशोधनो एवं रिपोर्टों को परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गई स्टेशनरी पर मुद्रित करने का मूल्य आदि सम्मिलित है, निम्नांकित प्रारूप पर प्रस्तावित करें–

पंजीकरण कार्य के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नवत् हैंः–

1– पंजीकरण प्रपत्राों की स्कैनिंग, स्कैन डाटा का आई0सी0आर0 सॉफ्टवेयर से रिकग्निशन कर डाटाबेस तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी चेकलिस्ट एवं नामावली तथा अन्य रिपोर्टों का मुद्रण।

2. फोटोयुक्त पंजीकरण कार्ड का मुद्रण।

प्रारूप

कार्य का विवरण	पंजीकरण कार्य के लिये परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार प्रति परीक्षार्थी हेतु कार्य की **दर सभी करों सहित जिसमें सेवाकर** भी सम्मिलित हो।		
	दो लाख परीक्षार्थी तक		
	प्रति परीक्षार्थी दर /	**कर यदि कोई हो**	**कर सहित कुल दर**
1.Scanning of Registration Forms, preparing the database with I.C.R. Software and printing of check-list, registration list etc.			
2. Printing of Registration Cards with photograph.			
Total:--			

(ख)– ट्रांसपोर्टेशन– टेण्डर की शर्तों के अनुसार निविदादाता फर्म को अनुदानित कार्यों से सम्बन्धित समस्त इनपुट (आवेदन पत्रा) जो एक अथवा एक से अधिक किस्तों में प्राप्त होंगे, परिषद कार्यालय रामनगर(नैनीताल) से प्राप्त कर ले जाने एवं आउटपुट को फिर इसी कार्यालय में पहुँचाए जाने पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा। जो निविदादाता फर्में इससे सहमत होंगी केवल उन्हीं के टेण्डर पर विचार किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर–
फर्म को मुहर–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सत्रा 2011–12 के अपंजीकृत विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण सम्बन्धी कार्य को कम्प्यूटर द्वारा सम्पादित कराये जाने हेतु कार्यों तथा शर्तों का विवरणः–

कार्य का विवरणः–

पंजीकरण आवेदन–पत्रा में छात्राों द्वारा चयनित विषयों एवं विषय ग्रुप के सम्बन्ध में परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये नइरमबज ब्वउइपदंजपवद त्नसमे एवं डाटा में आने वाली विभिन्न एरर को दर्शाने हेतु

निर्धारित विभिन्न एरर कोडों के साथ–साथ संपादित किये जाने वाले कार्यों का व्यापक अध्ययन कर इसके लिये एक उपयुक्त प्रोग्राम तैयार करने के पश्चात् निम्नवत् कार्यों को निम्नवत् निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्पादित करना होगाः–

क्रमांक	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रत्येक परीक्षार्थी के आवेदनपत्रा की स्कैनिंग कर आई0सी0आर0 विधि से प्रत्येक आवेदनपत्रा के डाटा की मास्टर डाटाबेस फाइल तैयार करना तथा इस डाटाबेस फाईल की चेकलिस्ट मुद्रित करना।	अक्टूबर 2011
2	परिषद कार्यालय से चेकलिस्ट के संशोधनों को प्राप्त करने एवं उससे मास्टर डाटाबेस फाईल अपडेट करने के उपरान्त विद्यालयवार परीक्षार्थियों की रजिस्ट्रेशन लिस्ट (नामिनल रोल) तैयार करना एवं परीक्षार्थियों के फोटायुक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड मुद्रित कराना।	दिसम्बर 2011

टिप्पणी–

1. कार्यों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त अवधि/समय में परिवर्तन हो सकता है। सम्पूर्ण कार्य 8 से 10 सप्ताह में समाप्त कर लेना होगा।
2. निम्नांकित रिपोर्ट तथा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य रिपोर्ट भी फर्म को उपलब्ध करानी होगीः–
   (1) बैचवाइज/स्कूलवाइज समरी रिपोर्ट।
   (2) विद्यालय सूची की चेकलिस्ट एवं अंतिम मुद्रित सूची।
   (3) फीस स्अेटमेण्ट रजिस्टर।

निविदा की शर्तें तथा नियम

निविदादाता फर्म को निम्नांकित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य हैः–

(क) हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध मेंः–

(1) कोई भी ऐसी फर्म निविदा प्रस्तुत न करे जिसके पास परिषदीय कार्यों के सम्पादनार्थ आवश्यक निर्धारित क्षमता के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा स्वयं की बैकअप सुविधायें न हों।

(2) टेण्डर फार्म में उल्लिखित समस्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निविदादाता फर्म के नाम से ही क्रय किये गये होने चाहिये। किसी अन्य फर्म के नाम से क्रय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित प्रपत्रा संलग्न किये जाने पर टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(3) टेण्डर म उल्लिखित समस्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निविदादाता फर्म के टेण्डर में दिये गये पते पर स्थापित(प्देजंससमक ंज जीम ूवतापदह ेपजम) होने आवश्यक हैं।

(4) सम्पूर्ण सिस्टम फ्लोचार्ट, प्रोग्राम एवं सम्बन्धित अभिलेख परिषद की सम्पति होगी तथा कार्योपरांत परिषद को उपलब्ध कराना होगा।

(5) अन्तिम रूप से प्रोसेस किये हुये मास्टर डाटाबेस फाइल की सी0डी0 जिनमें पंजीकरण आवेदनपत्राों की प्ंहम थ्पसम तथा सम्पूर्ण डाटा मौजूद होंगे, परिषद की सम्पति होगी तथा कार्योपरांत उसे परिषद को हस्तगत करा देना होगा। तैयार करायी जाने वाली समस्त रिपोर्टों के लेआउट परिषद द्वारा दिये जायेंगे। फर्में इन प्ंहम थ्पसम तथा सम्पूर्ण मास्टर डाटाबेस फाइल को इस प्रकार तैयार कर सुरक्षित रखेगी ताकि इन्हीं पंजीकृत परीक्षार्थियों द्वारा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने पर इनका प्रयोग इन परीक्षार्थियों के परीक्षा पूर्व तैयार किये जाने वाले डाटा के स्थान पर किया जा सके।

(6) सभी फर्में बिना किसी चार्ज के निःशुल्क कम से कम 1000 परीक्षार्थियों के कार्य का पायलट रन (एस0टी0आर0) आई0सी0आर0 प्रणाली द्वारा पूरा करेंगी, जिससे परिषद द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार वांछित, फम के सिस्टम की उपयोगिता एवं क्षमता/ दक्षता की परख की जा सके। यह एस0टी0आर0 कार्य परिषद की सन्तुष्टि के अनुरूप करना होगा। एस0टी0आर0 में उपर्युक्त कार्य विवरण के अन्तर्गत अंकित सभी कार्य सम्पादित करने होंगे। एस0टी0आर0 कार्य संतोषजनक न होने पर निविदा पर काई विचार नहीं किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एस0टी0आर0 कार्य संतोषजनक

ढंग से पूरा कर लेने के उपरान्त भी यह आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित फर्म को कार्य अनुदानित ही कर दिया जायेगा।

एस0टी0आर0 हेतु डाटा परिषद कार्यालय के सिस्टम सेल अनुभाग से टेण्डर खुलने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर कम्प्यूटर फर्मों को स्वयं प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् एस0टी0आर0 कार्य पूर्ण करके समस्त वांछित रिपोर्ट्स को अगले एक सप्ताह के अन्दर परिषद के सिस्टम सेल अनुभाग को उपलब्ध करा देना होगा। समयान्तर्गत एस0टी0आर0 कार्य सम्पादित न करन वाली फर्मों के टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

एस0टी0आर0 हेतु डाटा केवल उन्हीं फर्मों को उपलब्ध कराया जायेगा जिन्होंने टेण्डर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार टेण्डर के साथ परिषद द्वारा वांछित समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित सभी प्रपत्राों को संलग्न किया होगा। समस्त वांछित प्रपत्राों को संलग्न न करने अथवा अधूरी/गलत सूचनाएं देने पर न तो एस0टी0आर0 हेतु डाटा उपलब्ध कराया जायेगा और न ही टेण्डर पर कोई विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बाद में दिये जाने वाले किसी प्रत्यावेदन पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(7) चेकलिस्ट को चेक करने अथवा संशोधित करने का दायित्व परिषद का नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित फर्म का होगा। निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह अनुदानित कार्यों को निर्धारित समयावधि के अन्दर पंजीकरण फार्मो से **प्ब्न्त्ण्ैवजिूंतम** द्वारा तैयार डाटाबेस की शत–प्रतिशत प्रभावी जांच करेंगे तथा पूर्णतया शुद्ध व सही होने का तथा समस्त कार्यों की गोपनीयता बनाये रखने का प्रमाण–पत्रा परिषद को उपलब्ध करायेंगे।

(8) सभी कार्य ठेके के आधार पर करने होंगे। सिस्टम से सम्बन्धित किसी भी कार्य की जिम्मेदारी परिषद पर नहीं होगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।

(9) यदि निविदादाता चाहें तो निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व अपने प्रतिनिधि द्वारा परिषद की अग्रिम पंजीकरण कराये जाने की कार्यविधि का सर्वेक्षण कर सकते हैं।

(ख)– पंजीकरण फार्मों को प्राप्त करना तथा आउटपुट रिपोर्ट एवं अभिलेखों को परिषद कार्यालय को पहुँचानाः–

निविदादाता फर्मों का उत्तरदायित्व होगा कि वह समस्त इनपुट (पंजीकरण आवेदनपत्रा) तथा आउटपुट रिपोर्टस् एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को परिषद कार्यालय रामनगर (नैनीताल) से निःशुल्क ले जायेंगे तथा वापस पहुँचायेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि समस्त इनपुट एक ही किस्त में प्राप्त हो। आवश्यकतानुसार दो अथवा तीन किस्त में भी ये इनपुट आपको प्राप्त करने होंगे।

(ग)– वित्तीयः–

1– निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। निविदादाता फर्म को निविदा के साथ धरोहर धनराशि(अर्नेस्टमनी) रु0 12000.00 (बारह हजार रु0 मात्रा) क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पदनाम से प्लेज करना होगा। नकद या किसी अन्य रूप में धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. फर्म को कार्य हेतु कोई अग्रिम (।कअंदबम) नहीं दिया जायेगा। देय धनराशि का भुगतान दो किस्तों में निम्नवत् किया जायेगाः–

<u>(अ)– प्रथम किस्त–</u> समस्त कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने एवं समस्त परीक्षार्थियों के फोटों सहित डाटा के मास्टर फाइल की सी0डी0 एवं वांछित समस्त रिपोर्टों को यथा पंजीकरण कार्ड, नामावली आदि को मुद्रित कर समयान्तर्गत परिषद को उपलब्ध करा देने के पश्चात् किये गये कार्य का बिल प्रस्तुत करने तथा कार्यालय द्वारा उनका सत्यापन हो जाने के पश्चात् ही समस्त कार्यों की 75ः धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ब)– द्वितीय एवं अन्तिम किस्त– परिषद द्वारा सप्लाई की गई सादी एवं प्रि–प्रिंटेड स्टेशनरी का संतोषजनक लेखा–जोखा का विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने तथा कार्यालय द्वारा सत्यापन होने के पश्चात् फर्म की अवशेष 25ः धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

3. भुगतान किये गये सभी बिलों पर निर्धारित दर से आयकर तथा आयकर पर सरचार्ज की कटौती भी नियमानुसार की जायेगी।

4. कार्य सम्पादन की अवधि में किसी भी समय यदि परिषद के सचिव यह अनुभव करते हैं कि फर्म के कार्य की प्रगति संताषजनक नहीं है, या कार्य कुशलता यथेष्ट नहीं है तो वह फर्म से कार्य वापस ले सकते हैं तथा एक सप्ताह की लिखित नोटिस देकर इस कार्य को किसी अन्य फर्म को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिषद को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति सम्बन्धित फर्म को करनी होगी।

5. यदि फर्म रजिस्ट्रेशन कार्य को निश्चित समय सारिणी के अन्तर्गत पूर्ण करने में असफल होती है या सही इनपुट्स के परिवर्तन में भूल, चूक या दोष परिलक्षित होता है अथवा आउटपुट रिपोर्ट के किसी भी अंश में त्राुटि या अपूर्णता है तो सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् को अधिकार होगा कि त्राुटि की गम्भीरता के अनुरूप उतनी धनराशि की कटौती उनके भुगतान किये जाने वाली धनराशि से कर सकते हैं जितनी वे उचित समझेंगे।

यहाँ यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि परिषद के जो भी कार्य कम्प्यूटर फर्मों से कराये जाते हैं वे अत्यन्त संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी त्राुटि होने पर भी उससे परिषद की छवि पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः फर्मों द्वारा की जाने वाली त्राुटियों की गम्भीरता को देखते हुये दण्ड स्वरूप फर्म को उसके समस्त भुगतानो से वंचित करते हुए उसे भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य अनुदानित न करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

6. परिषद द्वारा सप्लाई की गई स्टेशनरी का उपयोग गलत ढंग से किये जाने अथवा विनष्ट किये जाने अथवा चोरी या खो जाने अथवा समुचित लेखा जोखा न रखे जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति स्वरूप ऐसी स्टेशनरी की सचिव द्वारा निर्धारित धनराशि, सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को देनी होगी।

7. **आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्धारित प्रपत्रा पर अनुबन्ध–पत्रा रुपया 100.00 के स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षरित करना होगा तथा कार्यादेश पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि बैंक गारन्टी/एकाउन्ट पे बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में कार्य सम्पादित करने हेतु जमा करेंगे। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्ति कर्त्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को जिनमें वारंटी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। किसी भी दशा में निश्चित की जाने वाली राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ठेकेदार उक्तवत हुई कमी की पूर्ति करेगा ठेकेदार को जमानत की राशि की वापसी ठेके का कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जाने के छः माह के पश्चात की जायेगी।**

8. फर्म/ठेकेदार आउटपुट रिपोर्ट में किसी प्रकार की भूलचूक, अपूर्णता अथवा त्राुटि के कारण हुई हानि के प्रति राज्यपाल तथा परिषद् को पूर्णतया क्षतिपूर्ति करेगा।

9. किसी अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पक्षपात के उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के निर्णय के प्रति अन्तिम रूप से लिया गया निर्णय फर्म/ठेकेदार को स्वीकार होगा। राज्यपाल महोदय ठेकेदार से राजस्व के रूप में अवशेष सभी देय धनराशि की वसूली कर सकते हैं।

(घ)– सामान्य–

1. फर्म/ठेकेदार को टेण्डर देने के पूर्व अपनी क्षमता एवं संसाधनों की जांच कर लेना चाहिए तथा मुख्यतः उस न्यूनतम परीक्षार्थी संख्या का उल्लेख करना चाहिए जिसके पंजीकरण कार्य को फोटोयुक्त

रजिस्ट्रेशन कार्ड के मुद्रण सहित कुशलतापूर्वक सही एवं बिना गलती किये निर्धारित समय सीमा में तैयार करने की क्षमता रखते हैं।

2. ठेकेदार केवल कक्षा–9 एवं अपंजीकृत छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्य को करने हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या तथा कार्य सम्पादन की अपनी योग्यता/क्षमता एवं उपलब्ध साधनों का उल्लेख करते हुए टेण्डर दे सकते हैं।

3. सौंपे गये सभी कार्यों को उनके लिए निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही पूर्ण करना पड़ेगा।

4. फर्म/ठेकेदार परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गयी स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का उपयोग सावधानी से तथा उसी कार्य हेतु करेगा जिसके लिए वह उपलब्ध कराई गयी है। वह उपलब्ध कराई गयी सामग्री का सही ढंग से लेखा जोखा रखेगा और उसे कार्य समाप्त होने के उपरान्त सचिव को प्रेषित करेगा। प्रयुक्त स्टेशनरी एवं अप्रयुक्त तथा खराब हुए रजिस्ट्रेशन कार्ड की स्टेशनरी परिषद को लौटा दिये जायेंगे। परिषद द्वारा प्रदत्त समस्त इनपुट सामग्री अभिलेख भी ठेकेदार नियमित बीजक के साथ वापस करेंगे।

5. चेकलिस्ट तथा नामावाली परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गयी 15'' ग 12'' की फुल साईज स्टेशनरी पर मुद्रित की जायेगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गयी ।4 साईज की 100 जी.एस.एम. की शीट पर मुद्रित कराया जायेगा। इसकी एक शीट पर चार कार्ड मुद्रित किये जायेंगे। ये चारों कार्ड माइक्रो परफोरेशन द्वारा एक दूसरे से अलग किये गये होंगे।

6. अनुदानित कार्य दोषपूर्ण ढंग से किये जाने अथवा निर्धारित स्टेशनरी का प्रयोग न किये जाने की स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के परिज्ञान में आने पर संबंधित फर्म/ठेकेदार को सचिव द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपने व्यय पर समुचित स्टेशनरी का प्रयोग करते हुए पुनः कार्य सम्पादित करना होगा।

7. निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या पंच (।तइपजतंजवत) को सन्दर्भित कर दिया जायेगा और ऐसे प्रकरण में आर्विट्रेशन एक्ट 1940 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. चयनित ठेकेदार को रुपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्धपत्रा हस्ताक्षरित करना होगा। इस निविदा की सभी शर्तें तथा कार्यादेश निर्गत किये जाने के समय उचित समझी गयी अन्य शर्तें भी ठेके की शर्तें होंगी।

उपर्युक्त विवरणों सहित सीलबन्द लिफाफे में लिफाफे के ऊपर **आई0सी0आर0 डाटा प्रोसेसिंग हेतु निविदा वर्ष 2011–12,** अंकित करते हुए सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के पते पर **दिनांक 08 सितम्बर, 2011 <u>को 12:00 बजे मध्याह्न तक</u>** अथवा इस तिथि के पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जानी चाहिए। **निविदा का तकनीकी भाग दिनांक 08 सितम्बर, 2011** को 1.00 बजे अपराह्न **समस्त उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खाला जायेगा तदोपरान्त वैध पाई गई फमा का वित्तीय भाग** खोला जायेगा।

निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा/निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी। परिषद के सचिव को बिना कारण बताये किसी भी टेण्डर को निरस्त/सुधारने या स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

अत्यावश्यक सूचनाः–

टेण्डर में उल्लिखित समस्त नियमों एवं निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा टेण्डर में माँगी जाने वाली उपर्युक्त समस्त सूचनाएं क्रमवार पूरी स्पष्टता के साथ सही–सही दी जायें। सूचनाएं अपूर्ण होने/अस्पष्ट हाने/गलत होने अथवा तथ्यों को छिपाये जाने की स्थिति में टेण्डर बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। परिषद कार्यालय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

नोटः— तकनीकी एवं वित्तीय भाग के लिफाफे अलग—अलग सील बन्द होंगे, दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर—
फर्म की मुहर—

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)